<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 06/06/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 29 दिसंबर, 2023

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्याः ए डी (ओआई) -06/2023

विषय: चीन जन.गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. मै. स्टाइलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' अथवा ''याचिकाकर्ता'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा ''ए डी नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें **चीन जन.गण.** (जिसे आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "**एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज**'' (जिसे यहां आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' या ''पीयूसी'' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है ।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज" है । एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज मिथाइल मैथाक्रीलेट रेजिन (एमएमए), एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और पिगमेंट्स से प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में उत्पादित गैर-छिद्रित, कम अनुरक्षण, मानव निर्मित सामग्री है और इसका प्रयोग काउंटरटॉप जैसी सतहों के लिए होता है और इसे पियरलैस स्वच्छता और सौदर्य विशेषताओं के साथ प्रचलित भवन सामग्री माना जा सकता है। यह ग्रेनाइट, मार्बल, पत्थर और अन्य प्राकृतिक रूप से मिलने वाली सामग्रियों जैसा दिख सकता है और इसे किसी प्रशिक्षित कारीगर द्वारा लगभग अदृश्य रूप से जोड़ा जा सकता है । विचाराधीन उत्पाद को सीमलैस काउंटरटॉप स्थापनाओं में प्रयोग किया जाता है और आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों जैसे किचन काउंटरटॉप , सिंक, बाथरूम, फर्नीचर फिटिंग, वाल क्लेडिंग आदि के लिए व्यापक रेंज के अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है । एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज का प्रयोग वाणिज्यिक स्थानों जैसे कार्यालयों, खुदरा दुकानों, मॉल, होटल और बार, अस्पताल और क्लीनिक आदि में भी किया जाता है ।

4. एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज को 6 एमएम, 12 एमएम आदि की मोटाई में आम तौर पर तैयार काउंटर टॉप्स में फ्रैब्रीकेशन के लिए विशिष्ट रूप से 760 एमएम x 2440 एमएम, 760 एमएम x 3660 एमएम जैसे आकारों में विशिष्ट रूप से शीट के रूप में विनिर्मित किया जाता है, सिंक, शॉवर पैन और बाथ टब सहित विभिन्न आकारों में ढाला भी जा सकता है । शीट रूप में संबद्ध वस्तु को गर्म किया और थर्मोफॉर्मिंग नाम प्रक्रिया के प्रयोग से त्रिआयामी आकार में मोड़ा भी जा सकता है, जो इस उत्पाद को अनेक प्रयोगों के लायक बनाता है । प्राकृतिक पत्थरों की तुलना में संबद्ध वस्तु में अधिक रंग और डिजाइन के विकल्प उपलब्ध हैं जिसने इस अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में योगदान दिया है ।

5. उत्पाद के विवरण आयात की सूचना के अनुसार यह दर्शाते हैं कि आयातकों ने 100 प्रतिशत एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज, प्यौर एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज, कोरियन शीट्स, हाई मैक्स एक्रेलिक शीट्स, पीएमएमए की निर्मित मोन्टेल्ली शीट्स, पीएमएमए शीट्स, स्टारन सॉलिड सर्फेस, क्रिओन मिथाइलमेथाक्रेलिक रेजिन सॉलिड सर्फेस शीट, मिथाइल मेथेक्रीलिक रेजिन शीट्स आदि प्रयोग विवरणों का संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है ।

6. आवेदन में विचार किए गए विचाराधीन उत्पाद में एक्रीलिक सॉलिड सरफेसेज को शामिल किया गया है, भले ही उनकी मोटाई कुछ भी हो, जिसमें माप की इकाई किलोग्राम (किलोग्राम) में रिपोर्ट किए गए उत्पाद का वजन है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 और कोड 3920 के तहत वर्गीकृत है। इस उत्पाद का आयात उपशीर्षों- 39205111,39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 और 35069999 के तहत किया गया है । तथापि, यह संभव है कि संबद्ध वस्तु का आयात अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी किया गया हो और इसलिए सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने वर्तमान आवेदन में किसी भी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया है। इच्छुक पक्ष इस जांच की शुरुआत की तारीख से तीस दिनों के भीतर पीयूसी / पीसीएन पर अपनी टिप्पणियां/ प्रस्तुतियां दे सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

9. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित किए जाने के लिए आरोपित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है । इन दोनों उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम प्रयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रथमदृष्टया ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है ।

ग. <u>संबद्ध देश</u>

10. आवेदक ने चीन जन.गण. और जापान को संबद्ध देश के रूप में प्रस्तावित करते हुए याचिका दायर की है। हालाँकि, प्राधिकरण ने केवल चीन जन.गण. को एक संबद्ध देश माना है, क्योंकि जापान के मामले में पाटन मार्जिन नकारात्मक था।

घ. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

11. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 तक की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2019 -31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020-31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

ड. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

12. यह आवेदक मै. स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके पास पीओआई के दौरान

संबद्ध वसतु के भारतीय उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और इसलिए उसके पास वर्तमान आवेदन दायर करने की अपेक्षित स्थिति है । आवेदक ने यह भी बताया है कि उसने संबद्ध देश से पीयूसी का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से आयातक से संबंधित हैं ।

13. आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

क. सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) और एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन में प्रचलित लागतों या घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जाए यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार इसकी उचित तुलना करें । ऐसा नहीं होने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

15. आवेदक ने यह दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत संबंधित आंकड़ों या अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाने का विकल्प उपलब्ध नहीं है । जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजन के बाद उपलब्ध सर्वोततम सूचना के अनुसार परिकलित किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

16. संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। कीमतों को कारखाना द्वार स्तर तक लाने के लिए उचित कीमत समायोजनों का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य से तुलनीय बन सकें ।

ग. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है । इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है ।

छ. <u>क्षति तथा कारणात्मक संबंध</u>

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदक ने समग्र रूप से तथा भारत में खपत, मालसूची के स्तरों में वृद्धि, सकारात्मक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री, घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनकारी प्रभाव की दृष्टि से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के रूप में कथित कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । आवेदक ने दलील दी है कि संबद्ध आयातों में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक पीबीटी, पीबीआईटी और आरओसीई के कारण घाटा उठाना पड़ा है । आवेदक ने दावा किया है कि पीओआई में वास्तविक निष्पादन संयंत्र की स्थापना के समय अनुमानित स्तर से काफी कम रहा है जो दर्शाता है कि उद्योग की स्थापना वास्तविक रूप से प्रभावित हुई है । संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं ।

छ. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

19. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा ए डी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं ।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

20. वर्तमान जांच में उक्त नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत यथानिर्धारित सिद्धातों का पालन किया जाएगा ।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

ट. <u>समय सीमा</u>

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा भेजी गई या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को सूचना दिए जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें ।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

27. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

28. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय " अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ों का गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

30. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त हो जाती है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और कारणों का एक बयान कि सममरीकरण संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए

प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

32. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें । प्रस्तुतियाँ / प्रतिक्रियाओं / सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पार्टी को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

33. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण को ईमेल करें। प्रस्तुतियों / प्रतिक्रियाओं / जानकारी के एक गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता एक इच्छुक पार्टी को गैर-सहयोगी के रूप में विचार करने का कारण बन सकती है।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी